फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री लाडी व अन्य .... बनाम लाडू व अन्य ....

किस्म मुकदमा 88,53,188...नम्बर 81 / 2015..........सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.12.2022	पत्रावली पेश हुई । वकिल उभय पक्ष उपस्थित । वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्रआदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचन्द पुत्र श्री उंकारलाल एवं प्रतिवादीया संख्या 5 श्रीमती नन्दू देवी का स्वर्गवास होना उल्लेखित कर अबेटमेंट एवं देरी को क्षमा कर प्रतिवादी संख्या 4 का नाम तर्क हेतु एवं प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया । जवाब में प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आदेश 22 नियम 03 व 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते समय पक्षकार की मृत्यु की तिथि उल्लेखित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्वान्त है। परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 के स्वर्गवास की तिथि उल्लेखित नही की गई है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 05 के स्वर्गवास की भी कोई तिथि उल्लेखित नही की गई है तथा ना ही विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों में 1/7–1/7 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत की गया है जिसकी घोषणा खातेदारी होने के पश्चात ही विभाजन का वैकल्पिक अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव है ऐसी स्थिति में विभाजन का वाद अबेट नही होने बाबत कथन विधिक प्रावधानो के विपरित है । पक्षकारो की मृत्यु अथवा अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में वादीगण स्वयं को अपने हक अधिकारो के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान वाद पत्र के तहत वादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सजगता प्रकट नही की गई है अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर वाद पत्र अबेट हो जाने से निरस्त फरमावे। राजकीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनो को सही नही होना कथन कर वाद पत्र स्वतः ही अबेट हो जाने से निरस्त हेतु निवेदन किया है।	

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचन्द एवं प्रतिवादीया संख्या 5 श्रीमती नन्दूदेवी के स्वर्गवास की दिनांक अंकित नही की गई है। साथ ही वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया । इसके विपरित वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 4 के स्वर्गवास की जानकारी तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस पर अंकित रिपोर्ट से होना उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली पर न्यायालय हाजा द्वारा जारी किसी भी नोटिस पर प्रतिवादी संख्या 4 के स्वर्गवास की रिपोर्ट अंकित होना प्रकट नही होता है। इसप्रकार वादीगण यह सिद्व किए जाने में असफल रहा कि प्रतिवादी संख्या 5 का स्वर्गवास कब हो गया था वादीगण द्वारा वर्तमान वाद पत्र दिनांक 09.09.2015 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2022 को प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 स्वर्गवास की जानकारी नही होना सदेह से परे स्वीकार किए जाने योग्य तथ्य प्रकृट नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से प्रतिवादी संख्या 9 श्रीमती श्रवणी देवी का स्वर्गवास भी दिनांक 13.10.2020 को हो जाना प्रमाणित है, जिस सबंध में भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक विधिक वारिसान की कार्यवाही नही की गई है, से भी वादीगण का वाद पत्र स्वतः हो अबेट हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का वादीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई पर्याप्त व सदभाविक कारण उल्लेखित नही किए जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 में उल्लेखित अनुसूची के क्रम संख्या 120 में वर्णित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने तथा मियाद के सम्बन्ध में दर्शित कारण सदभाविक प्रतीत नही होने से अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. में मय प्रार्थना पत्र धारा 5 अस्वीकार कर फलस्वरूप वादीगण का वाद अबेट हो जाने से इसी स्तर पर वाद खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर